जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा ।

विज्ञापन संख्या–02/2020–21

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत जिला/प्रखण्ड स्तर पर गठित PMU में नियुक्ति से संबंधित सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रांची के अधिसूचना संख्या 1016 (अनु0) दिनांक 01.03.2017, पत्रांक 1192 दिनांक 09.03.2017 एवं पत्रांक 208 दिनांक 16.01.2020 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत चतरा जिला अन्तर्गत जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर गठित Project Monitoring Unit (PMU) के विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु चतरा जिला के स्थानीय अभ्यर्थियों/व्यक्तियों से विभागीय पोर्टल https://applyrdd.jharkhand.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 20/07/2020 से 30/07/2020 तक आमंत्रित किया जाता है । एतद् संबंधी निर्गत पूर्व विज्ञापन (ज्ञापांक 1189/जि0ग्रा0 दिनांक 11.10.2018) को रद्द किया जाता है ।

1. पदों की विवरणी :–

जिला स्तर पर :–

क्र0	पद का नाम	रिक्त पद	कोटि	उम्र सीमा	वांछित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव
1	जिला समन्वयक (मासिक मानदेय- 35,000/-रू0)	1	अनारक्षित (UR)	22–45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को–ऑपरेटिव मेनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नातक उतीर्ण/PGDRD/ MARD एवं तीन वर्ष का कार्यानुभव ।
2	लेखापाल–सह–कम्प्युटर ऑपरेटर (मासिक मानदेय- 15,000/-रू0)	1	अनारक्षित (UR)	18–30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उतीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ एक वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य ।

प्रखण्ड स्तर पर :-

क्र0	पद का नाम	रिक्त पद	कोटि	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक (मासिक मानदेय- 18,000/-रू0)	04	UR-2 BCII-1 ST-1 Total-04	22-45 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मेनेजमेंट/ सोशल वर्क में स्नातक उतीर्ण/ PGDRD/MARD एवं एक वर्ष का कार्यानुभव । किसी भी संकाय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उतीर्ण एवं एक वर्ष का कार्यानुभव ।
2	लेखापाल-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर (मासिक मानदेय- 10,000/-रू0)	01	ST-1	18-30 वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उतीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA) के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य ।

(आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 577 दिनांक 10.07.2020 से उपरोक्त कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है)

2. नियुक्ति की प्रकिया व शर्तें

1. सभी अभ्यर्थियों को Online Recruitment Portal (https://applyrdd.jharkhand.gov.in/) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा । इस हेतु विभागीय ज्ञापांक 4894/ग्रा0वि0 दिनांक 03.12.2018 के अनुसार कोई आवेदन शुल्क नही लिया जायेगा । **ऑनलाईन करने के उपरांत आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर सभी संबंधित कागजात/प्रमाण पत्र स्वअभिप्रमाणित कर दिनांक......06/08/2020 तक निम्न पते पर स्पीड पोस्ट/ निबंधित डाक के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे ।** समयावधि

के पश्चात एवं अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा । आवेदन पत्र भेजने का पता निम्नवत है :-

पदनाम :-
ऑनलाईन आवेदन क्रमांक :- विज्ञापन संख्या :- 02/2020-21
सेवा में,
श्रीमान उप विकास आयुक्त, चतरा
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
विकास भवन, चतरा पिन-825401

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 3854 दिनांक 01.06.2018 के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 3036 दिनांक 18.07.2018 के आलोक में उपर्युक्त वर्णित पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए चतरा जिला के स्थानीय निवासी ही पात्र है ।
3. यदि आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो उन्हें पदवार अलग-अलग आवेदन समर्पित करना होगा ।
4. उम्र की गणना दिनांक 01.01.2020 के आधार पर की जायेगी ।
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक 7636 दिनांक 12.10.2018 के अनुसार दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत है :-

क्र0	कोटि	अधिकतम आयु सीमा
1	अनारक्षित	45 वर्ष
2	पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	47 वर्ष
3	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	48 वर्ष
4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष)	50 वर्ष

6. विकलांगता के दावा हेतु विकलांगता प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-05/2016 का0 5671/राँची, दिनांक-04.07.2016 के आलोक में) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा एवं वैसे अभ्यर्थियों को अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा ।

7. नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य एवं वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता परीक्षा के अंकों के कुल प्राप्तांकों पर जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी ।

8. **जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में Grade अंकित हो तो वे अभ्यर्थी अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।**

9. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड समन्वयक के पद के लिए उम्मीदवारों में रूरल मैनेजमेंट/को-ऑपरेटिव मेनेजमेंट/सोशल वर्क में स्नातक उतीर्ण/PGDRD/ MARD/को प्राथमिकता दी जायेगी ।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में प्रारंभिक मेघा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहां आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी ।

11. सभी श्रेणी के पदों के अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा ।

12. दक्षता परीक्षा में कम्प्युटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा । कम्प्युटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्युटर टंकण की परीक्षा ले सकती है ।

13. कम्प्युटर परीक्षा में उतीर्णता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 04 अंक लाना अनिवार्य होगा ।

14. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंकों में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनु0जाति/अनु0ज0जा0 के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 45 अंक लाना अनिवार्य होगा । इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेगें ।

15. अंतिम मेघा सूची में पदवार रिक्त संख्या का दोगुना नाम अंकित रहेगा, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध रहेगा ।

16. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेघा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी । उम्र में समानता होने की दशा में लॉट्री के माध्यम से चयन किया जायेगा ।

17. प्रारंभिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की जायेगी । प्रत्येक वर्ष उनके कार्यो का समिति के द्वारा मूल्यांकन किया

जायेगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जायेगा । नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।

18. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

19. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं की जा सकेगी ।

14/7/20
उपायुक्त
चतरा ।

ज्ञापांक...566.../जि.ग्रा. दिनांक...14.../07/2020

प्रतिलिपि :-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन.आई.सी., चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित है कि उक्त सूचना की प्रति को चतरा जिले के बेवसाईट www.chatra.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

14/7/20
उपायुक्त
चतरा ।